संख्या-5/2024/।/472806/2024/001-71-2013-15-2020

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में संस्थान के लिये आवंटित भूखण्ड संख्या-7/31 व 7/32, क्षे0 77951.46 वर्गमीटर भूमि के क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2951/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2023/सि0-43, दिनांक 22.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में संस्थान के लिये आवंटित भूखण्ड संख्या-7/31 व 7/32, क्षे0 77951.46 वर्गमीटर भूमि के क्रय के संबंध में धनराशि रू0 24894481.00 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में आवंटित भूखण्ड संख्या- 7/31 व 7/32 क्षेत्रफल 77951.46 वर्गमीटर को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-36/2016/482/71-2-16-आर0एम-26/2014, दिनांक 14-3-2016 द्वारा रू0 1,58,63,17,711/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 39,65,79,428/- की धनराशि एवं शासनादेश संख्या-37/2017/631/71-2-17-आर0एम-26/2014, दिनांक 23-3-2017 द्वारा रू0 64,98,00,000.00/-, शासनादेश संख्या-43/2017/1013/71-2-17-आर0एम-26/2014, दिनांक 31-3-2017 द्वारा रू0 16,64,00,000.00/- एवं शासनादेश संख्या-62/2017 /3619/71-2-17-आर0एम-26/2014, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 द्वारा धनराशि रू0 37,35,38,283.00/- अर्थात कुल रू0 1,586,317,711.00/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 18.09.2017 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 37,35,38,283.00 को संस्थान द्वारा कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विलम्ब से जमा करने के कारण दिनांक 01.10.2017 से 05.12.2017 तक (02 माह 17 दिन) पर 15 प्रतिशत ब्याज की दर से कुल धनराशि रू0 55,43,396.00/- की देयता उत्पन्न हो रही है। अतः प्रश्नगत धनराशि का भुगतान संस्थान द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

4- इस क्रम में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ को एल0डी0ए0 द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या-7/31 व 7/32, क्षे0 77951.46 वर्गमीटर भूमि के लिये धनराशि रू0 1,93,51,085.00 (रूपये एक करोड़ तिरानवे लाख इक्यावन हजार पच्चासी मात्र) (रू0 24894481.00-रू0 55,43,396.00) (वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संस्थान के मानक मद 4210-03-105-04-24- वृहत निर्माण कार्य से धनराशि रू0 1,52,87,358.00 एवं अनुदान संख्या-83 मानक मद 4210-03-789-28-24- वृहत निर्माण कार्य मद से धनराशि रू0 40,63,727.00) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नतगत कार्य किसी अन्यन कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्यस योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। संस्थान द्वारा धनराशि का आहरण एवं व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यववस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रस्तावित भूमि डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान के नाम रजिस्टर्ड विलेख के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही निदेशक, संस्थान द्वारा की जायेगी।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक संस्थान द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 1,52,87,358 (रुपये एक करोड़ बावन लाख सतासी हजार तीन सौ अट्ठावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 40,63,727 (रुपये चालीस लाख त्रेसठ हजार सात सौ सत्ताईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2024/।/472806/2024/001-71-2013-15-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7) वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।